राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 404/2022

कुतुबुद्दीन कनोरवाला पुत्र श्री अकबर अली, उम्र लगभग 62 वर्ष, एकमात्र मालिक, मेसर्स जेड.ए. कनोरवाला, पता - 01, 05, 06, थियोसोफिकल सोसायटी लॉज, चमनपुरा, शिक्षा भवन सर्किल, उदयपुर- 313001 (राज.)

----अपीलार्थी/वादी

बनाम

1. जाकिर हुसैन कनोरवाला पुत्र अकबर अली, उम्र लगभग 81 वर्ष, एकमात्र मालिक-मैसर्स जेड.ए. कनोरवाला, पता 26/811, फोटोवाला बारी, सावा मंदिर, पुराना फतहपुरा, उदयपुर-313004 (राज.)
2. मैसर्स उपकार थोक भंडार, इसके मालिक श्री हकीमुद्दीन कनोरवाला पुत्र श्री जाकिर हुसैन कनोरवाला, उम्र 50, पता ए-001, जीएलजी कॉम्प्लेक्स, फतहपुरा, उदयपुर- 313004 (राज.) के माध्यम से

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	डॉ. अशोक सोनी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमन सोनी श्री दिव्यांशु चौधरी सुश्री सोनाली व्यास श्री रोमिल बागरेचा श्री यश दाधीच सुश्री दिव्या पुरोहित, की सहायता से
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री जी.डी.बंसल, वीसी के माध्यम से श्री प्रतीक चरण श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर

<u>निर्णय</u>

<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>

<u>निर्णय रिजर्व किया गया: 09/05/2024</u>

<u>निर्णय सुनाया गया: 23/05/2024</u>

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से वर्तमान अपील पर इस स्तर पर सुनवाई की जा रही है तथा इस निर्णय द्वारा अंतिम रूप से निर्णीत किया जा रहा है।

2. वर्तमान प्रथम अपील अपीलार्थी-कुतबुद्दीन द्वारा अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1, उदयपुर (संक्षेप में "ट्रायल कोर्ट") द्वारा पारित दिनांक 02.09.2022 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 28(3), धारा 29 और धारा 30 (2)(ई) के तहत प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1- जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था और अपीलार्थी-वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ-साथ प्रतिवादी-उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दायर प्रतिदावा खारिज कर दिया गया था।

3. संक्षेप में, वर्तमान प्रथम अपील में ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि 01.01.1979 को, एक साझेदारी फर्म जिसका नाम मेसर्स जेड.ए. कनोरवाला है, की स्थापना साझेदारों श्री जाकिर हुसैन कनोरवाला (तत्काल अपील में प्रतिवादी नंबर 1) और श्री अब्बास अली कनोरवाला द्वारा की गई थी, जिन्होंने 30.11.1987 को पंजीकरण संख्या 481894 के तहत माल-मसालों के लिए वर्ग 30 में आने वाले सभी प्रकार के मसालों के विनिर्माण, व्यापार, विपणन, बिक्री के लिए पेशकश और बिक्री के व्यवसाय के संबंध में एक विशिष्ट ट्रेडमार्क "जेडके" (लेबल) अपनाया था।

4. अप्रैल, 2005 के महीने में, श्री अब्बास अली साझेदारी फर्म से सेवानिवृत्त हुए और वर्तमान अपीलकर्ता-वादी- कुतुबुद्दीन कनोरवाला को साझेदारी फर्म मेसर्स जेड.ए. कनोरवाला के साथ साझेदारी विलेख दिनांक 01.04.2005 द्वारा किया गया।

5. 31.08.2006 को साझेदारी फर्म मेसर्स जेड.ए. कनोरवाला को भंग कर दिया गया। 31.08.2006 की विघटन विलेख से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कुतुबुद्दीन कनोरवाला उक्त व्यवसाय को उसी नाम और शैली अर्थात मेसर्स जेड.ए. कनोरवाला के तहत एकमात्र स्वामी के रूप में जारी रखेगा; कुतुबुद्दीन कनोरवाला एकमात्र और अनन्य स्वामित्व का हकदार होगा और ट्रेडमार्क "जेडए", साझेदारी फर्म का नाम मेसर्स जेड.ए. कनोरवाला और ट्रेडमार्क के साथ-साथ सद्भावना का उपयोग कर सकता है; निवर्तमान भागीदार जाकिर हुसैन कनोरवाला का फर्म मेसर्स जेड.ए. कनोरवाला और/या साझेदारी फर्म के ट्रेडमार्क में कोई अधिकार, शीर्षक और हित नहीं होगा।

6. पूर्व साझेदारी फर्म के उक्त विघटन के पश्चात, परिणामस्वरूप, पूर्व साझेदार श्री जाकिर हुसैन कनोरवाला, प्रत्यर्थी-प्रतिवादी संख्या 1 ने पूर्व साझेदारी फर्म के नाम से बिक्रीकर लाइसेंस रद्द करने के लिए वाणिज्यिक कर अधिकारी, उदयपुर को अपने हस्ताक्षर से दिनांक 01.09.2006 को एक आवेदन लिखा था। उन्होंने साझेदारी मेसर्स जेड.ए. कनोरवाला के नाम से चालू खाता बंद करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक, चेतक सर्किल, उदयपुर के प्रबंधक को दिनांक 02.09.2006 को एक पत्र भी लिखा था। प्रत्यर्थी-प्रतिवादी- जाकिर हुसैन कनोरवाला ने स्थायी लाइसेंस बदलने के लिए सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, उदयपुर को दिनांक 03.02.2010 को एक पत्र भी लिखा और दुकान लाइसेंस बदलने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रदान करने के लिए दिनांक 06.03.2010 को एक शपथ पत्र भी दिया। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता-वादी ने अपने स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स जेड.ए. कनोरवाला के साथ “जेडके (लेबल)” ट्रेडमार्क के साथ अपना व्यवसाय जारी रखा। इसके बाद, वर्तमान अपीलकर्ता-वादी ने ट्रेडमार्क के अनुदान के लिए दो और आवेदन दायर किए और आधिकारिक प्रतिवादियों द्वारा “जेडके” और “उपकार स्पाइसेस” के रूप में उन्हें अनुमति दी गई।

7. वर्ष 2013 में प्रत्यर्थी-प्रतिवादी संख्या 1- जाकिर हुसैन कनोरवाला ने वर्तमान अपीलकर्ता-वादी के विरुद्ध जिला न्यायालय, उदयपुर में खातों के विघटन एवं प्रतिदान हेतु वाद दायर किया था, जिसे सिविल वाद संख्या 125/2013 के रूप में अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1, उदयपुर को स्थानांतरित कर दिया गया तथा आज तक विचाराधीन है। पूर्व साझेदारी फर्म के ट्रेडमार्क के संबंध में उक्त वाद में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है।

8. वर्ष 2017 में प्रतिवादी संख्या 1-प्रतिवादी जाकिर हुसैन कनोरवाला द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध जिला न्यायालय, उदयपुर में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक और वाद दायर किया गया था, जिसे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 2, उदयपुर के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। उक्त वाद में वर्तमान अपीलकर्ता-वादी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें उसे ट्रेड मार्क "उपकार स्पाइसेस" और ट्रेड नाम जेड.ए. कनोरवाला और इसके लोगो "जेडके" का उपयोग करने से रोका गया था, लेकिन इसे दिनांक 05.10.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। दिनांक 05.10.2019 के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष एक अपील भी दायर की गई थी, जो विचाराधीन है। इसके अलावा, अन्य मुकदमें भी हैं, जो पक्षों के बीच विचाराधीन हैं।

9. पंजीकरण संख्या 1034169 वर्ग 30 के तहत ट्रेड मार्क "उपकार स्पाइसेस" पूर्व भागीदारी फर्म मेसर्स जेड.ए. कनोरवाला के नाम पर पंजीकृत किया गया था। अपीलकर्ता-वादी फर्म के एकमात्र मालिक होने के नाते ट्रेड मार्क "उपकार स्पाइसेस" के संबंध में टीएम-24 (ट्रेड मार्क के हस्तांतरण और बाद के मालिक के रूप में पंजीकरण के लिए) दायर किया। रजिस्ट्रार, ट्रेड मार्क्स ने पूर्व भागीदार प्रतिवादी संख्या 1- जाकिर हुसैन कनोरवाला द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज करते हुए वर्तमान अपीलकर्ता के पक्ष में दिनांक 12.02.2018 के आदेश के अनुसार फॉर्म टीएम-24 को अनुमति दी। इन परिस्थितियों में, वर्ग 30 में संख्या 1034169 के तहत ट्रेडमार्क “उपकार स्पाइसेस” अब अपीलकर्ता कुतुबुद्दीन कनोरवाला, एकमात्र स्वामी मेसर्स जेड.ए. कनोरवाला के नाम पर पंजीकृत है।

10. संक्षेप में, अपीलकर्ता-वादी मसालों के लिए वर्ग 30 में पंजीकरण संख्या 1034169 के तहत “उपकार मसाले” का पंजीकृत ट्रेडमार्क और वर्ग 30 में मसालों के संबंध में पंजीकरण संख्या 481894 के तहत “जेडके (लेबल)” का पंजीकृत ट्रेडमार्क मेसर्स जेडए कनोरवाला के नाम से रखता है, क्योंकि अपीलकर्ता-वादी द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है।

11. यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्यर्थी-प्रतिवादी ने आवेदन संख्या 2276741 के तहत वर्ग 35 के तहत सेवाओं में मसालों के संबंध में “उपकार मसाले” के साथ “जेडके” ट्रेडमार्क पंजीकृत कराया।

12. इन परिस्थितियों में, चूंकि प्रतिवादी अपीलकर्ता-वादी के पंजीकृत ट्रेड मार्क का दुरुपयोग कर रहा था, इसलिए वर्तमान अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 को लेबल ट्रेड मार्क संख्या 1034169 "उपकार स्पाइसेस" और वर्ग 30 में ट्रेड मार्क संख्या 481894 "जेडके" के संबंध में उल्लंघन और पासिंग ऑफ करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया।

13. मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधिनियम की धारा 28(3), धारा 29 और धारा 30(2)(ई) के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। निम्न विद्वान न्यायालय ने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सुनवाई के पश्चात प्रत्यर्थी-प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर लिया तथा वर्तमान अपीलकर्ता-वादी द्वारा दायर वाद को खारिज कर दिया तथा प्रत्यर्थी-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर प्रतिवाद को भी दिनांक 02.09.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः वर्तमान अपील दायर की गई है।

14. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अशोक सोनी ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रत्यर्थी-प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा

28(3), 29 और 30(2)(ई) के तहत वाद को खारिज करने के लिए प्रस्तुत आवेदन पर खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) को अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के साथ संयोजन में पढ़ा जाना होगा, जिसमें पंजीकरण स्पष्ट रूप से "माल" और "सेवाओं" के लिए अलग-अलग प्रदान किया गया है और चूंकि अपीलकर्ता-वादी को माल की श्रेणी यानी वर्ग 30 के तहत पंजीकृत किया गया है, इसलिए वर्ग 35 के तहत सेवाओं के लिए समान ट्रेडमार्क के पंजीकरण का कोई असर नहीं होगा और इसलिए प्रत्यर्थी-प्रतिवादी द्वारा एक ही ट्रेडमार्क के लिए लेकिन अलग वर्ग यानी 35 में पंजीकरण अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (3) को धारा 29 और 30 (2) (ई) के साथ पढ़ें, के तहत वाद को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है।

15. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि चूंकि अपीलकर्ता-वादी के ट्रेडमार्क वर्ग 30 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए थे, जो विशेष रूप से "माल" की श्रेणी में एक अलग वर्ग के लिए प्रावधान करता है और प्रत्यर्थी प्रतिवादी-1 के ट्रेडमार्क का पंजीकरण उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए है, हालांकि उसी ट्रेडमार्क के लिए लेकिन अलग श्रेणी यानी वर्ग-35 में, इसलिए, इसे अधिनियम की धारा 28 (3), 29 और 30 (2) (ई) के तहत संधारणीय नहीं माना जा सकता है।

16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि मुकदमे की दलीलों का मात्र अवलोकन करने से पता चलता है कि उल्लंघन और पासिंग ऑफ के लिए प्रार्थना वाद में बहुत अधिक मौजूद है। अधिनियम की धारा 28 (3) के अधिनियमन द्वारा सामान्य कानून से उत्पन्न अधिकार निर्विवाद रहेंगे क्योंकि पासिंग ऑफ के लिए मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता है, भले ही दोनों प्रतिद्वंद्वी पक्ष एक समान ट्रेडमार्क के पंजीकृत धारक हों, इसलिए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अधिनियम की धारा 28 (3) के तहत प्रत्यर्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पूरे मुकदमे को खारिज करते हुए एक त्रुटि की है। पासिंग ऑफ के लिए मुकदमा अभी भी संधारण योग्य है, भले ही पंजीकृत ट्रेडमार्क समान हों और अधिनियम की धारा 28 (3) के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे।

17. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी-प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत प्रस्तुत आवेदन के समान है और इसलिए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उस आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया है, हालांकि, दलीलों के एक मात्र अवलोकन से पता चलता है कि अपीलकर्ता-वादी द्वारा प्रस्तुत मुकदमा मुद्दों को तैयार किए बिना और साक्ष्य रिकॉर्ड करने के बाद उस पर निर्णय दिए बिना खारिज नहीं किया जा सकता है।

18. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रत्यर्थी-प्रतिवादी के पक्ष में दिए गए पंजीकरण को भी अपीलकर्ता-वादी द्वारा चुनौती दी गई है, जो गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, हालांकि, कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है, लेकिन विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्ता के मुकदमे को इस आधार पर भी खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रतिवादी द्वारा ट्रेडमार्क के पंजीकरण के संबंध में कोई अंतिमता प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने योग्यता के आधार पर निर्णय लिए बिना मुकदमे को खारिज करते हुए गलती की है।

19. अपनी दलीलों के समर्थन में अपीलकर्ता-वादी के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया है:-

(i) एस. सैयद मोहिदीन बनाम पी. सुलोचना बैन (2016) 2 एससीसी 683.
(ii) राणा स्टील्स बनाम रण इंडिया स्टील्स पी. लिमिटेड, 2008 (102) डीआरजे 503.
(iii) ए. कुमार मिल्क फूड्स पी. लिमिटेड बनाम विकास त्यागी एवं अन्य, 2013 एससीसी ऑनलाइन डेल 3439:(2013) 55 पीटीसी 469.

20. इसके विपरीत, श्री जी.डी. बंसल, श्री धर्मेंद्र कुमार गुप्ता और श्री प्रतीक चरण की सहायता से प्रत्यर्थी-प्रतिवादी के लिए वी.सी. के माध्यम से विद्वान वकील ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि चूंकि प्रत्यर्थी-प्रतिवादी ने वर्ग 35 के तहत पंजीकरण संख्या 2276741 के माध्यम से एक पंजीकृत ट्रेड मार्क "जेडके" भी प्राप्त किया है, इसलिए, अधिनियम की धारा 28 (3), 29 और 30 (2) (ई) के तहत पंजीकृत ट्रेड मार्क के धारक के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से दलील दी कि अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) को सरलता से पढ़ने पर पता चलता है कि जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति ट्रेडमार्क के पंजीकृत स्वामी हैं, जो एक दूसरे के समान हैं या लगभग समान हैं, उनमें से किसी भी ट्रेडमार्क के उपयोग का अनन्य अधिकार उन व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध केवल ट्रेडमार्क के पंजीकरण द्वारा अर्जित नहीं माना जाएगा, बल्कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के पास अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध समान अधिकार हैं, इसलिए इन परिस्थितियों में, चूंकि अपीलकर्ता-वादी और प्रत्यर्थी-प्रतिवादी दोनों के पास पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं जो समान हैं, अपीलकर्ता-वादी प्रत्यर्थी-प्रतिवादी के विरुद्ध उल्लंघन का मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रत्यर्थी-प्रतिवादी के विरुद्ध ऐसा करना वर्जित है और इसलिए, प्रत्यर्थी-प्रतिवादी द्वारा धारा अधिनियम की धारा 28(3), धारा 29 और 30(2)(ई) के तहत प्रस्तुत

आवेदन को स्वीकार करते समय विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

21. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक दलील दी कि अधिनियम की धारा 29 के अनुसार भी, उसी ट्रेडमार्क के उपयोग के लिए उल्लंघन का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि प्रत्यर्थी-प्रतिवादी भी ट्रेडमार्क का पंजीकृत धारक है और इसलिए अधिनियम की धारा 29 के अनुसार, यदि इसका उपयोग "व्यापार के दौरान" किया जाता है, तो इसे वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क के ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस धारा में प्रयुक्त शब्द "माल" और "सेवाओं" के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं।

22. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 30(2) (ई) के अनुसार, यदि कोई पंजीकृत ट्रेड मार्क, इस अधिनियम के तहत पंजीकृत दो या अधिक ट्रेड मार्कों में से एक है जो एक दूसरे के समान हैं या लगभग मिलते-जुलते हैं, तो इस अधिनियम के तहत पंजीकरण द्वारा दिए गए उस ट्रेड मार्क के उपयोग के अधिकार का प्रयोग करते हुए इसे अन्य पंजीकृत ट्रेड मार्क धारक का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और इसलिए, वर्तमान मामले में, चूंकि प्रत्यर्थी-प्रतिवादी के पास अपने पक्ष में एक पंजीकृत ट्रेड मार्क है, इसलिए अपीलकर्ता-वादी द्वारा उस पर प्रत्यर्थी-प्रतिवादी द्वारा पंजीकृत ट्रेड मार्क के उल्लंघन के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

23. प्रत्यर्थी-प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने संक्षेप में कहा कि चूंकि वादी और प्रतिवादी दोनों ही पंजीकृत ट्रेडमार्क धारक हैं, इसलिए अपीलकर्ता-वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध दायर किया गया वाद स्वीकार्य नहीं है।

24. प्रत्यर्थी-प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उल्लंघन और पासिंग ऑफ के लिए राहत मांगने वाला एक समग्र मुकदमा संधारण योग्य नहीं है और इसलिए, अपीलकर्ता-वादी द्वारा दायर समग्र मुकदमा खारिज किए जाने योग्य है।

25. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी-प्रतिवादी को वर्तमान मामले में ट्रेडमार्क का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता है क्योंकि यह वर्ग 35 के तहत पंजीकृत है और वादी के ट्रेडमार्क का पंजीकरण वर्ग 30 के तहत है।

26. अपने तर्कों के समर्थन में, प्रत्यर्थी-प्रतिवादी के विद्वान वकील ने निम्नलिखित मामलों में किए गए निर्णय पर भरोसा किया:

(1) मेसर्स लायन डेट्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पी. मोहम्मद इब्राहिम (सी.एस. संख्या 799/2014 दिनांक 10.03.2020 को निर्णीत)

(2) पी.एम. डीजल प्राइवेट लिमिटेड बनाम ठुकराल मैकेनिकल वर्क्स (दिल्ली) (सूट संख्या 2408/1985 दिनांक 19.01.1988 को निर्णीत)

(3) केंट आरओ सिस्टम लिमिटेड बनाम गट्टूभाई 2022(90) पीटीसी 257 में रिपोर्ट किया गया, और

(4) माइकोल्यूब इंडिया लिमिटेड बनाम मैगन ऑटो सेंटर (दिल्ली) 2008(36) पीटीसी 231 में रिपोर्ट किया गया।

27. मैंने बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है और दिनांक 02.09.2022 के आदेश सहित मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

28. पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित विस्तृत तथ्य दर्शाते हैं कि अपीलकर्ता-वादी के पास दो पंजीकृत ट्रेड मार्क हैं, अर्थात्, "उपकार स्पाइसेस" जिसका पंजीकरण संख्या 1034169 है और "जेडके" जिसका पंजीकरण संख्या 481894 है, जो वर्ग 30 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इसी समय, प्रत्यर्थी-प्रतिवादी के पास पंजीकरण संख्या 2276741 के साथ वर्ग 35 के अंतर्गत पंजीकृत एक पंजीकृत ट्रेड मार्क "जेडके" है। चूंकि अपीलकर्ता-वादी के पंजीकृत ट्रेड मार्क "जेडके" का प्रत्यर्थी-प्रतिवादी द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था, इसलिए, उनके द्वारा उल्लंघन और पासिंग ऑफ के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक मुकदमा दायर किया गया था।

29. मुकदमे की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी-प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 28(3), धारा 29 और धारा 30(2)(ई) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे दिनांक 02.09.2022 के आदेश के तहत अनुमति दी गई और अपीलकर्ता-वादी द्वारा प्रस्तुत मुकदमे के साथ-साथ प्रत्यर्थी-प्रतिवादी द्वारा दायर जवाबी दावे को खारिज कर दिया गया। आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया है कि अपीलकर्ता-वादी और प्रत्यर्थी-प्रतिवादी पंजीकृत ट्रेडमार्क रखते हैं जो एक ही/समान शैली/प्रकृति के हैं, इसलिए, अपीलकर्ता-वादी द्वारा दायर मुकदमा अधिनियम की धारा 28(3), धारा 29 और धारा 30(2)(ई) के मद्देनजर संधारणीय नहीं है। उपरोक्त आवेदन को स्वीकार करते समय प्रत्यर्थी-प्रतिवादी के ट्रेडमार्क के पंजीकरण को ट्रायल कोर्ट के दिमाग में बहुत अधिक महत्व दिया गया।

30. अधिनियम की धारा 28, धारा 29 और धारा 30(2)(ई) को पुनः उद्धृत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:-

> **"28. पंजीकरण द्वारा प्रदत्त अधिकार**- (1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए,

किसी व्यापार चिह्न का पंजीकरण, यदि वैध है, तो व्यापार चिह्न के पंजीकृत स्वामी को उन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में व्यापार चिह्न के उपयोग का अनन्य अधिकार देगा जिनके संबंध में व्यापार चिह्न पंजीकृत है और इस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई रीति से व्यापार चिह्न के उल्लंघन के संबंध में राहत प्राप्त करने का अधिकार देगा।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत दिए गए ट्रेडमार्क के उपयोग का अनन्य अधिकार उन शर्तों और सीमाओं के अधीन होगा, जिनके अधीन पंजीकरण है।

(3) *जहां दो या अधिक व्यक्ति ऐसे व्यापार चिह्नों के पंजीकृत स्वामी हैं, जो एक दूसरे के समान हैं या लगभग एक जैसे हैं, उनमें से किसी भी व्यापार चिह्न के उपयोग का अनन्य अधिकार (जहां तक उनके संबंधित अधिकार रजिस्टर में दर्ज किसी शर्त या सीमा के अधीन हैं) उन व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध केवल व्यापार चिह्नों के पंजीकरण द्वारा अर्जित नहीं माना जाएगा, बल्कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों (अनुमत उपयोग के माध्यम से पंजीकृत उपयोगकर्ता न होने पर) के विरुद्ध वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे तब प्राप्त होते यदि वह एकमात्र पंजीकृत स्वामी होता।"*

"29. पंजीकृत व्यापार चिह्नों का उल्लंघन- (1) पंजीकृत व्यापार चिह्न का उल्लंघन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो पंजीकृत स्वामी या अनुमत उपयोग के माध्यम से उपयोग करने वाला व्यक्ति न होते हुए भी व्यापार के दौरान ऐसे चिह्न का उपयोग करता है, जो उस व्यापार चिह्न के समान है या भ्रामक रूप से मिलता-जुलता है, उन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में जिनके संबंध में व्यापार चिह्न पंजीकृत है और इस तरह से कि चिह्न के उपयोग को

व्यापार चिह्न के रूप में उपयोग किए जाने के रूप में लिया जा सके।

(2) पंजीकृत व्यापार चिह्न का उल्लंघन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो पंजीकृत स्वामी या अनुमत उपयोग के माध्यम से उपयोग करने वाला व्यक्ति न होते हुए भी व्यापार के दौरान ऐसे चिह्न का उपयोग करता है, जो -

(क) पंजीकृत व्यापार चिह्न के साथ अपनी पहचान और ऐसे पंजीकृत व्यापार चिह्न द्वारा कवर किए गए माल या सेवाओं की समानता के कारण; या

(ख) पंजीकृत व्यापार चिह्न के साथ अपनी समानता और ऐसे पंजीकृत व्यापार चिह्न द्वारा कवर किए गए माल या सेवाओं की पहचान या समानता के कारण; या

(ग) पंजीकृत व्यापार चिह्न के साथ अपनी पहचान और ऐसे पंजीकृत व्यापार चिह्न द्वारा कवर किए गए माल या सेवाओं की पहचान के कारण जनता में भ्रम पैदा होने की संभावना है, या जिसका पंजीकृत व्यापार चिह्न के साथ संबंध होने की संभावना है।

(3) उपधारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में न्यायालय यह मान लेगा कि इससे जनता में भ्रम पैदा होने की संभावना है।

(4) पंजीकृत व्यापार चिह्न का उल्लंघन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो पंजीकृत स्वामी या अनुमत उपयोग के माध्यम से उपयोग करने वाला व्यक्ति न होते हुए भी व्यापार के दौरान ऐसे चिह्न का उपयोग करता है, जो

(क) पंजीकृत व्यापार चिह्न के समरूप या समान है; और

(ख) उन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में उपयोग किया जाता है, जो उन वस्तुओं या सेवाओं के समान नहीं हैं, जिनके लिए व्यापार चिह्न पंजीकृत है; और

(ग) पंजीकृत व्यापार चिह्न की भारत में प्रतिष्ठा है और बिना उचित कारण के चिह्न का उपयोग पंजीकृत व्यापार चिह्न के विशिष्ट चरित्र या प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाता है या उसके लिए हानिकारक है।

(5) पंजीकृत व्यापार चिह्न का उल्लंघन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है यदि वह ऐसे पंजीकृत व्यापार चिह्न को अपने व्यापार नाम या अपने व्यापार नाम के भाग के रूप में या अपनी व्यापारिक इकाई के नाम या अपने व्यापारिक इकाई के नाम के भाग के रूप में उपयोग करता है, जो उन वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित है जिनके संबंध में व्यापार चिह्न पंजीकृत है।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति पंजीकृत चिह्न का उपयोग करता है, यदि, विशेष रूप से, वह-

(क) इसे माल या उसकी पैकेजिंग पर चिपकाता है;

(ख) पंजीकृत व्यापार चिह्न के अंतर्गत बिक्री के लिए माल की पेशकश करता है या उसे प्रदर्शित करता है, उसे बाजार में रखता है या उन प्रयोजनों के लिए स्टॉक करता है, या पंजीकृत व्यापार चिह्न के अंतर्गत सेवाओं की पेशकश या आपूर्ति करता है;

(ग) चिह्न के अंतर्गत माल का आयात या निर्यात करता है; या

(घ) पंजीकृत व्यापार चिह्न का उपयोग व्यापारिक कागजातों पर या विज्ञापन में करता है।

(7) पंजीकृत व्यापार चिह्न का उल्लंघन उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो ऐसे पंजीकृत व्यापार चिह्न को किसी ऐसी सामग्री पर लागू करता है जिसका

उपयोग वस्तुओं पर लेबल लगाने या पैकेजिंग करने, व्यवसायिक कागज के रूप में या वस्तुओं या सेवाओं के विज्ञापन के लिए किया जाना है, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति, जब उसने चिह्न लगाया था, जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि चिह्न का आवेदन स्वामी या लाइसेंसधारी द्वारा विधिवत् अधिकृत नहीं था।

(8) पंजीकृत व्यापार चिह्न का उस व्यापार चिह्न के किसी विज्ञापन द्वारा उल्लंघन किया जाता है यदि ऐसा विज्ञापन-

(क) औद्योगिक या वाणिज्यिक मामलों में उचित प्रथाओं का अनुचित लाभ उठाता है और उनके विपरीत है; या

(ख) इसके विशिष्ट चरित्र के लिए हानिकारक है; या

(ग) व्यापार चिह्न की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है।

(9) जहां पंजीकृत व्यापार चिह्न के विशिष्ट तत्वों में शब्द शामिल हैं, वहां उन शब्दों के मौखिक उपयोग के साथ-साथ उनके दृश्य निरूपण द्वारा व्यापार चिह्न का उल्लंघन किया जा सकता है और इस खंड में चिह्न के उपयोग के संदर्भ को तदनुसार व्याख्यायित किया जाएगा।

"30. पंजीकृत व्यापार चिह्न के प्रभाव की सीमाएं -

(1) धारा 29 में किसी भी बात को किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यापार चिह्न के उपयोग को स्वामी के रूप में माल या सेवाओं की पहचान करने के प्रयोजनों के लिए रोकने के रूप में नहीं समझा जाएगा, बशर्ते कि उपयोग -

(क) औद्योगिक या वाणिज्यिक मामलों में ईमानदार प्रथाओं के अनुसार हो, और

(ख) ऐसा न हो कि व्यापार चिह्न के विशिष्ट चरित्र या प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाया जाए या उसके लिए हानिकारक हो।

(2) (क) .....

(ख) .....

(ग) .....

(घ) .....

(ई) पंजीकृत ट्रेड मार्क का उपयोग, जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत दो या अधिक ट्रेड मार्कों में से एक है, जो एक दूसरे के समान या लगभग समान हैं, इस अधिनियम के तहत पंजीकरण द्वारा दिए गए उस ट्रेड मार्क के उपयोग के अधिकार के प्रयोग में।

31. अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) को पढ़ने से पता चलता है कि यदि ट्रेडमार्क का पंजीकरण वैध है, तो ट्रेडमार्क के पंजीकृत स्वामी को उन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में ट्रेडमार्क के उपयोग का विशेष अधिकार मिलेगा जिनके संबंध में ट्रेडमार्क पंजीकृत है और इस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई विधि से ट्रेडमार्क के उल्लंघन के संबंध में राहत प्राप्त करने का अधिकार होगा। धारा 28 की उपधारा (1) बहुत स्पष्ट रूप से ट्रेडमार्क के पंजीकरण को दो धाराओं अर्थात "वस्तुओं" और सेवाओं में दर्शाती है, इसलिए, विधानमंडल का इरादा बहुत स्पष्ट है कि एक दूसरे को ओवरलैप/इंटरचेंज नहीं करेगा। वर्तमान मामले में, चूंकि अपीलकर्ता-वादी के पास वर्ग 30 में पंजीकृत ट्रेडमार्क है जिसे 'माल' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिवादी-प्रतिवादी के पास वर्ग 35 के तहत पंजीकृत ट्रेडमार्क है जिसे 'सेवाओं' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए, दोनों के पास स्वतंत्र संचालन क्षेत्र होगा और इसलिए, इस न्यायालय की राय में, एक दूसरे के साथ कोई अतिव्यापी प्रभाव नहीं होगा। अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (3) को अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) एक विशेष वर्ग को संदर्भित करती है और इसलिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति ट्रेडमार्क के पंजीकृत स्वामी होते हैं जो एक दूसरे के समान या लगभग समान होते हैं, तो उन्हें उस विशेष वर्ग में माना जाएगा और इसलिए, अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) अपीलकर्ता-वादी द्वारा उत्तरदाता-प्रतिवादी के खिलाफ

दायर किए गए मुकदमे को जारी रखने के रास्ते में नहीं आएगी क्योंकि दोनों अलग-अलग वर्गों में पंजीकरण रखते हैं।

32. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने ए. कुमार मिल्क फूड्स प्रा. लि. बनाम विकास त्यागी एवं अन्य के मामले में, जो 2013 एस.सी.सी. ऑनलाइन डेल 3439 में रिपोर्ट किया गया, निम्न प्रकार से टिप्पणी की:

> "28. टीएम अधिनियम की धारा 28(3) की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती जो अधिनियम और नियमों की उपरोक्त योजना के विपरीत हो। दूसरे शब्दों में, टीएम अधिनियम की धारा 28(3) को इस तरह से समझा जाना चाहिए कि यह एक पंजीकृत स्वामी द्वारा दूसरे के विरुद्ध उल्लंघन की कार्रवाई की अनुमति नहीं देता है, जब दो शर्तें पूरी होती हैं: एक, कि दो पंजीकृत चिह्न "एक दूसरे के समान या लगभग समान हैं"; और दो, वे एक ही वर्ग के सामान और सेवाओं के संबंध में हैं। यह टीएम अधिनियम की धारा 29 के साथ धारा 28(1) के उद्देश्य के अनुरूप होगा, जो किसी चिह्न के पंजीकृत स्वामी को उस सामान के संबंध में उल्लंघन से सुरक्षा प्रदान करना चाहता है जिसके लिए पंजीकरण प्रदान किया गया है।"

33. उत्तरदाता-प्रतिवादी के विद्वान वकील का तर्क कि अधिनियम की धारा 29 पंजीकृत ट्रेडमार्क धारक के खिलाफ "व्यापार के दौरान" उल्लंघन का मुकदमा लाने पर भी रोक लगाती है, इस आधार पर खारिज किया जाता है कि अधिनियम की धारा 29 व्यापार के दौरान एक अपंजीकृत ट्रेडमार्क धारक द्वारा पंजीकृत ट्रेडमार्क धारक के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में बात करती है और इसलिए, उस मामले में "माल" और "सेवाओं" के बीच कोई अंतर नहीं है। इस खंड में प्रयुक्त शब्द "व्यापार के दौरान" कोई अंतर नहीं करता है यदि एक अपंजीकृत ट्रेडमार्क धारक पंजीकृत ट्रेडमार्क धारक के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। इस न्यायालय की राय में, उत्तरदाता-प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क वर्तमान तथ्यों के सेट में लागू नहीं हो रहा है, जहां अपीलकर्ता-वादी और उत्तरदाता-प्रतिवादी दोनों के ट्रेडमार्क स्पष्ट और अलग-अलग वर्गों के लिए पंजीकृत हैं और इसलिए, उन्हीं कारणों से, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अधिनियम की धारा 30 (2) (ई) पर विचार करते समय भी एक त्रुटि की है कि पंजीकृत ट्रेडमार्क धारक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, जहां ट्रेडमार्क का उपयोग, इस अधिनियम के तहत पंजीकृत एक या दो या अधिक

व्यक्ति होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता-वादी और प्रतिवादी दोनों के ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, लेकिन वे 'माल' और 'सेवाओं' के संबंध में विभिन्न वर्गों के तहत पंजीकृत हैं और इसलिए, धारा 29 और धारा 30 (2) (ई) लागू नहीं हो रही हैं।

34. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस. सैयद मोहिदीन बनाम पी. सुलोचना बाई के मामले में (2016) 2 एससीसी 683 में रिपोर्ट की गई टिप्पणी निम्नानुसार की:-

> "अधिनियम की धारा 28(3) में प्रावधान है कि समान या लगभग मिलते-जुलते ट्रेडमार्क के दो पंजीकृत स्वामियों के अधिकारों को एक-दूसरे के विरुद्ध लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि, वे तीसरे पक्ष के विरुद्ध समान होंगे। धारा 28(3) केवल यह प्रावधान करती है कि एक पंजीकृत स्वामी के दूसरे के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं होंगे, बल्कि केवल पंजीकरण के उद्देश्य से होंगे। उक्त प्रावधान 28(3) में कहीं भी पासिंग ऑफ के अधिकारों के बारे में टिप्पणी नहीं की गई है, जो अधिनियम की धारा 27(2) के अधिभावी प्रभाव के कारण अप्रभावित रहेंगे और इस प्रकार सामान्य कानून से उत्पन्न अधिकार धारा 28(3) के अधिनियमन से अप्रभावित रहेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक पंजीकृत स्वामी के अधिकारों को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध लागू नहीं किया जाएगा।"

35. दिल्ली उच्च न्यायालय ने राणा स्टील्स बनाम रान इंडिया स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में, रिपोर्ट 2008 (102) डीआरजे 503 में, निम्नांकित टिप्पणी की:

> 22. चूंकि प्रतिवादी ने धारा 30(2)(ई) के तहत बचाव किया है, इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह प्रावधान यह निर्धारित करता है कि पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं होता है, जब उक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत दो या अधिक ट्रेडमार्क में से एक पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग किया जाता है, जो एक दूसरे के समान या लगभग समान हैं, उक्त अधिनियम के तहत पंजीकरण द्वारा दिए गए उस ट्रेडमार्क के उपयोग के

अधिकार का प्रयोग करते हुए। इस प्रकार, जहां दो पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं, जो एक दूसरे के समान या लगभग समान हैं, उनके संबंधित पंजीकृत स्वामियों द्वारा ऐसे ट्रेडमार्क का उपयोग दूसरे के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन, ऐसे चिह्नों का पंजीकरण कब हो सकता है जो एक जैसे या समान हैं? उक्त अधिनियम की धारा 9, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे व्यापार चिह्नों के पंजीकरण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाती है जो किसी विशिष्ट चरित्र से रहित हैं, अर्थात् एक व्यक्ति के माल या सेवाओं को दूसरे व्यक्ति के माल या सेवाओं से अलग करने में सक्षम नहीं हैं। धारा 11(1), धारा 12 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, किसी व्यापार चिह्न के पंजीकरण पर भी सशर्त प्रतिबंध लगाती है, यदि (क) किसी पुराने व्यापार चिह्न से पहचान और व्यापार चिह्न द्वारा कवर किए गए माल या सेवाओं की समानता के कारण; या (ख) किसी पुराने व्यापार चिह्न से समानता और व्यापार चिह्न द्वारा कवर किए गए माल या सेवाओं की पहचान या समानता के कारण, जनता में भ्रम की संभावना मौजूद है, जिसमें पहले के व्यापार चिह्न के साथ जुड़ाव की संभावना भी शामिल है। धारा 12 ऐसे व्यापार चिह्नों के पंजीकरण की अनुमति देती है जो एक जैसे या समान हैं (चाहे ऐसा कोई व्यापार चिह्न पहले से पंजीकृत हो या नहीं) एक जैसे या समान वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में ईमानदार समवर्ती उपयोग या अन्य विशेष परिस्थितियों के मामलों में। यह स्पष्ट है कि जहां धारा 11 और 12 के तहत शक्तियों के प्रयोग में एक जैसे या समान वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में एक जैसे या समान ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, उनके संबंधित स्वामियों द्वारा ऐसे चिह्नों का उपयोग उल्लंघन नहीं माना जाएगा। धारा 30(2)(ई) के तहत विशेष रूप से यही प्रावधान किया गया है।

23. लेकिन, क्या धारा 30(2)(ई) उन मामलों को भी कवर करती है, जहां विभिन्न श्रेणियों के सामान या

सेवाओं के संबंध में एक जैसे या समान ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं? जवाब है - नहीं। धारा 28 पंजीकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों से संबंधित है। और, यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि पंजीकृत चिह्न का उपयोग उन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में होना चाहिए, जिनके संबंध में ट्रेडमार्क पंजीकृत है। इसका अर्थ यह है कि जहां दो या अधिक एक जैसे या समान (लगभग समान) चिह्न पंजीकृत हैं, वे वस्तुएं या सेवाएं अलग-अलग हैं, तो धारा 30(2)(ई) लागू नहीं होती। उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पंजीकृत चिह्नों का उपयोग उनके संबंधित स्वामियों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के सामान या सेवाओं के संबंध में किया जाएगा।"

36. यह न्यायालय इस तथ्य पर भी ध्यान देता है कि अपीलकर्ता-वादी द्वारा दायर किया गया वाद उल्लंघन और पासिंग ऑफ दोनों से राहत के लिए है और इसलिए, ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 27 के आदेश के अनुसार, पासिंग ऑफ के मुकदमे को अधिनियम की धारा 28(3), धारा 29 और धारा 30(2)(ई) के प्रावधानों को लागू करके खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि पासिंग ऑफ का मुकदमा इस तथ्य से प्रभावित नहीं होता है कि उत्तरदाता-प्रतिवादी और अपीलकर्ता-वादी के पास समान ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं या नहीं।

37. यह भी ध्यान देने योग्य है कि एक ओर, उत्तरदाता-प्रतिवादी ने साझेदारी के विघटन और खातों के प्रतिदान के लिए मुकदमा दायर किया है, जिसमें उसने खुद को मेसर्स जेड.ए. कनोरवाला फर्म में भागीदार मानते हुए और दूसरी ओर, उसने ट्रेडमार्क “जेडके” पंजीकरण संख्या 1276741 के वर्ग 35 के तहत पंजीकरण प्राप्त किया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ट्रेडमार्क के पंजीकरण को अपीलकर्ता-वादी द्वारा सुधार आवेदन दायर करके चुनौती दी गई है और यह माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन भी है। इसलिए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, उत्तरदाता-प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 28(3), धारा 29 और धारा 30(2)(ई) के तहत प्रस्तुत आवेदन को मुद्दों को तैयार करके और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद मुकदमे को गुण-दोष के आधार पर तय किए बिना खारिज करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 (डी) के प्रावधानों के समान तरीके से आवेदन का फैसला करते समय एक त्रुटि की है। इस मामले में मुद्दों को

तैयार करने और योग्यता के आधार पर साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद न्यायनिर्णयन की आवश्यकता है।

38. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने हालांकि यह दलील दी है कि संयुक्त मुकदमा कायम रखने योग्य नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में किसी कानून के प्रावधान या किसी निर्णय द्वारा अपनी दलीलों का समर्थन नहीं किया है, इसलिए, इसे खारिज किया जाता है। इसके अलावा, इस न्यायालय को लगता है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पासिंग ऑफ और उल्लंघन की प्रार्थनाओं के साथ मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता हो।

39. प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे वर्तमान तथ्यों के सेट में लागू नहीं होते हैं और इसलिए, वे वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से अलग हैं।

40. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर प्रथम अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और उसे अनुमति दी जाती है। दिनांक 02.09.2022 के आदेश को निरस्त कर अपास्त किया जाता है। चूंकि यह वाद वर्ष 2020 से विचाराधीन है, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर कानून के अनुसार लंबित वाद का निर्णय करे।

41. कहने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा दायर प्रतिवाद को भी पुनर्जीवित किया जाएगा और वाद की कार्यवाही के साथ ही उसका भी निर्णय किया जाएगा।

(**विनीत कुमार माथुर**),**जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।